रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 1980/आश्विन 14, 1902
No. 191] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1980/ASVINA 14, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1980

सं. प्रति अदायगी/सा. सू. 41/80:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-अदायगी नियम, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 52/फा. सं. 602/2/70-प्र. अ.) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं. प्रतिअदायगी/

सा. सू. 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रमांक 2628 के अन्तर्गत परन्तुक (2) को निकाल दिया जाएगा और परन्तुक (3) और (4) की विद्यमान क्रम सं. को क्रमशः (2) और (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

2. यह सार्वजनिक सूचना 18 सितम्बर, 1977 से लागू हुई समझी जाएगी और 18 सितम्बर, 1980 तक लागू रहेगी ।

महेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

INDIRECT TAXES DIVISION

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th October, 1980

No. DRAWBACK/PN-41/80.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), The Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

1. The proviso (ii) under Sub-Serial No. 2628 shall be deleted and the existing Serial Nos. of proviso (iii) and (iv) shall be renumbered as (ii) and (iii) respectively.

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th day of September, 1977 and shall be valid till 18-9-1980.

MAHESH KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 110054, 1980

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72
REGISTERED No. D.(D) 72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 192] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 1980/आश्विन 22, 1902
No. 192] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 1980/ASVINA 22, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1980

सं० एफ० 4(5)-डब्ल्यू० एण्ड एम०/80.—6 50 प्रतिशत ऋण, 1990 (दूसरा निर्गम) और 7 50 प्रतिशत ऋण, 2010 (तीसरा निर्गम) के लिए 29 अक्तूबर 1980 से अभिदान नकदी में स्वीकार किये जाएंगे। जैसे ही यह विदित होगा कि कुल अभिदान राशि अनुमानत 600 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक पहुंच गयी है, बिना सूचना दिये किन्तु किसी भी दशा में 30 अक्तूबर 1980 को कारोबार समाप्त होने से पूर्व, इन निर्गमों को बंद कर दिया जाएगा। सरकार को 600 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2 यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 660 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो ऋणों के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर आंशिक आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद शेष या अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटाई गई राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3 रु० 100 00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 18 जुलाई 1990 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6 50 प्रतिशत ऋण, 1990 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 18 जुलाई 1990 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100 00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100 00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 29 अक्तूबर 1980 से वार्षिक 6 50 प्रतिशत होगी। 29 अक्तूबर 1980 से 17 जनवरी 1981 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 18 जनवरी 1981 को अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 18 जुलाई और 18 जनवरी को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये गये अनुच्छेद 6 और 7 के उपबंधों के अधीन आय कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर लगेगा।

4 रु० 100 00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 12 मई, 2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय 7 50 प्रतिशत ऋण 2010 (तीसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 12 मई 2010 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100 00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100 00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 29 अक्तूबर 1980 से वार्षिक 7 50 प्रतिशत होगी। 29 अक्तूबर 1980 से 11 नवम्बर, 1980 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 12 नवम्बर, 1980 को अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 12 मई और 12 नवम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे